न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या — 183 / 2020 — निगरानी

1. मोहित पुत्र हरिप्रसाद शर्मा निवासी शिवाजी नगर, कावांखेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

—निगराकार

बनाम

1. कमलेश पुत्र रामलाल चौधरी निवासी सोलबीघा, आरजिया ग्राम पंचायत आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत आरजिया पं.स सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा जरिए सचिव / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत आरजिया पं.स सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा

— गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पटटा संख्या 18 दिनांक 07.03.2019 मिसल / पत्रावली संख्या 280 / 2017—18 दिनांक 26.03.20218

उपस्थित —

1. श्री रामदयाल जाट अधिवक्ता — निगराकार की ओर से
2. श्री राजेश चौधरी अधिवक्ता — गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.11.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत आरजिया द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर गैर निगराकार संख्या 01 व उसके परिवार के सदस्य को पुश्तैनी नही होते हुए भी आबादी भूमि को पुश्तैनी बताकर पट्टे जारी किये गये व गैर निगराकार सख्या 01 को नपती 60 बाई 35 फीट को पट्टा संख्या 18 दिंनाक 07/03/2019 को जारी कर दिया गया, जो अवैध होकर निरस्त होने योग्य है। मौके पर कोई निर्माण नही हो रखा है व न ही गैर निगराकार सख्या 01 का कब्जा है। बिना कब्जे के पुश्तैनी बताकर पट्टा जारी किया गया है व लाखो करोड़ो रूपये की बहुमुल्य सम्पति का 200/— रूपये पर पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा नियम 141 के अनुसार निलामी के माध्यम से विक्रय नहीं किया गया, बल्कि ही एक ही

21.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

दिन मे घर पर बैठकर पत्रावली बनाकर फैसल कर दी, जबकी नियम 145 (3) के तहत आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के पेटे 25/– रूपये व नियम 145 (3) के तहत आवेदन के साथ स्थल नक्शा संलग्न नही किया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिए 25/– रूपये जमा कराना अनिवार्य होता है। ग्राम पंचायत गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने नियम 147–148 की पालना भी विधिवत नही की न ही कोई ग्राम पंचायत आरजिया व ग्राम सोलबीघा में विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि की सूचना बस स्टेण्ड या सहजदृश्य स्थान पर लगवायी गयी व न ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये। नियम 151 के तहत कोई निलामी समिति गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने गठित नहीं की और न ही विधिवत उक्त भूखण्ड की निलामी लगायी गयी और न ही नियम 152 के तहत बाजार कीमत उपरजिस्ट्रार द्वारा स्टाम्प शुल्क के प्रयोजनार्थ भूमियों के पिछले विक्रयों के आधार पर नियत की गई। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष मे किया गया निरस्त फरमाया जावें।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत आरजिया द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर गैर निगराकार संख्या 01 व उसके परिवार के सदस्य को पुश्तैनी नही होते हुए भी आबादी भूमि को पुश्तैनी बताकर पट्टे जारी किये गये व गैर निगराकार सख्या 01 को नपती 60 बाई 35 फीट को पट्टा संख्या 18 दिंनाक 07/03/2019 को जारी कर दिया गया, जो अवैध होकर निरस्त होने योग्य है। मौके पर कोई निर्माण नही हो रखा है व न ही गैर निगराकार सख्या 01 का कब्जा है। बिना कब्जे के पुश्तैनी बताकर पट्टा जारी किया गया है व लाखो करोड़ो रूपये की बहुमुल्य सम्पति का 200/– रूपये पर पट्टा जारी किया है। गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा नियम 141 के अनुसार निलामी के माध्यम से विक्रय नहीं किया गया, बल्कि ही एक ही दिन मे घर पर बैठकर पत्रावली बनाकर फैसल कर दी, जबकी नियम 145 (3) के तहत आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के पेटे 25/– रूपये व नियम 145 (3) के तहत आवेदन के साथ स्थल नक्शा संलग्न नही किया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिए 25/– रूपये जमा कराना

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

24.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अनिवार्य होता है। ग्राम पंचायत गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने नियम 147—148 की पालना भी विधिवत नही की न ही कोई ग्राम पंचायत आरजिया व ग्राम सोलबीघा में विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि की सूचना बस स्टेण्ड या सहजदृश्य स्थान पर लगवायी गयी व न ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये। नियम 151 के तहत कोई निलामी समिति गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने गठित नहीं की और न ही विधिवत उक्त भूखण्ड की निलामी लगायी गयी और न ही नियम 152 के तहत बाजार कीमत उपरजिस्ट्रार द्वारा स्टाम्प शुल्क के प्रयोजनार्थ भूमियों के पिछले विक्रयों के आधार पर नियत की गई। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष मे किया गया निरस्त फरमाया जावें।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि निगराकार को निगरानी लाने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। गैर निगराकार सख्या 01 की पुश्तैनी जायदाद है। उक्त जायदाद का गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष मे गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर सभी पंचायत राज नियमो की पालना करते हुए ग्राम पंचायत मे कोरम मे प्रस्ताव पारित कर विधिवत पट्टा जारी किया गया व साथ ही पट्टे की रजिस्ट्री भी करवायी गयी है। गैर निगराकार संख्या के पक्ष में विधिवत रजिस्ट्री हो जाने से रजिस्ट्री निरस्तीकरण का अधिकार न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को है। निगराकार को पट्टा जारी करने हेतु विधिवत प्रक्रिया अपनाकर मजमा आम मे पट्टा जारी किया गया है, जिसकी निगराकार को शुरू से ही जानकारी है। निगराकार द्वारा केवल मात्र दुर्भावनावश मिथ्या आधारो पर निगरानी पेश की है, जो प्रथम दृष्टया खारीज होने योग्य है। निगराकार जो कि न तो ग्राम पंचायत आरजिया का निवासी है। विवादित जायदाद में निगराकार का कोई हक स्वत्व व कब्जा नही है। निवेदन हैं कि निगरानी सारहीन व असत्य तथ्यो पर होने से खारीज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार स्वयं ने अपनी निगरानी मेमों में अंकित किया कि प्रश्नगत पटटा भूखण्ड पर मौके पर कोई निर्माण व कब्जा नही हैं। किन्तु निगराकार ने इस बाबत् कोई प्रमाणिक दस्तावेजात पेश नही किये हैं।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

21.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपने जवाब में उक्त पटटे का पंजीयन होना बताया तथा पंजीयन संबंधी दस्तावेज पेश किये किन्तु निगराकार द्वारा इस बाबत् कोई खण्डन नही किया गया।

प्रश्नगत पटटे को ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में पंजीयन कराया गया। पंजीकृत दस्तावेज के संबंध में श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को होने से इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नही ठहरता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी सारहीन एवं आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत आरजिया पंचायत समिति सुवाणा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.11.25

(रणजीत सिंह)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,

भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा